राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक–294 /241/NULM/तीन/2001 (SM&ID)-II दिनांक– 19-5-17

सेवा में,

1 **जिलाधिकारी/अध्यक्ष,**
जिला नगरीय विकास अभिकरण,

2. **सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक,**
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा,
लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, झांसी, मथुरा, मऊ, फर्रूखाबाद, बुलन्दशहर, रायबरेली, उरई–जालौन, उन्नाव, फैजाबाद, बांदा, बदायूं, मैनपुरी, देवरिया, एटा, आजमगढ़, शामली, महोबा, बिजनौर, श्रावस्ती, बहराइच, मिर्जापुर, अमरोहा, शिकोहाबाद–फिरोजाबाद, फतेहपुर, गोण्डा, लोनी–गाजियाबाद, हापुड, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, जौनपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, हरदोई, बाराबंकी एवं कन्नौज उ0प्र0।

विषय : दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) के माध्यम से सेवाएं लिए जाने हेतु निर्गत शासनादेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–374/2016/771/69–1–2016–14(56)/2016 दिनांक 20.05.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में संचालित CLC को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाये जाने हेतु विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, उपक्रमों, प्राधिकरणों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से ली जा रही सेवाएं CLC के माध्यम से लिए जाने हेतु शासनादेश में निर्देशित किया गया है।

उक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य शहरी आजीविका मिशन उ0प्र0 लखनऊ ने पत्रांक–394/241/NULM/तीन/2001(SM&ID)-II दिनांक 26.05.2016 द्वारा भी निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपसे यह भी अनुरोध है कि उक्त शासनादेश के अनुपालन में विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, उपक्रमों, प्राधिकरणों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से ली जा रही सेवाएं CLC के माध्यम से लिए जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय एवं शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
2. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी/सिटी मिशन मैनेजर, सामाजिक विकास एवं अवस्थापना, सी0एम0एम0यू0, डूडा उ0प्र0।
3. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक